रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112026-277952
CG-DL-E-16112026-277952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6000] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 6000] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

**का.आ. 6240(अ).—** आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात उक्त अधिनियम से सन्दर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय- 'संयुक्त संयंत्र समिति' (पैन: AAAJJ0197P) को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की सदस्यता से प्राप्तियाँ और आँकड़ों के संकलन एवं प्रकाशन तथा डेटा प्रेषण से प्राप्त अन्य समान प्राप्तियाँ;

(ख) टाटा स्टील लिमिटेड और एसएआईएल के द्वारा देय और बकाया ब्याज;

(ग) मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता स्थित संयुक्त संयंत्र समिति के पारगमन गृहों से उपयोगिता शुल्क; और

(घ) स्थायी जमा, सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी बांडों से प्राप्त ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि संयुक्त संयंत्र समिति –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगी; और

(ग) की गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति कर वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।

3. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन न करने पर अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के तहत, धारा 11 के साथ पठित, छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 143 /2026/फा. सं. 300196/15/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2026

**S.O. 6240(E).—** In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No.36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Joint Plant Committee' (PAN:AAAJJ0197P), a Body constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

(a) receipts from subscriptions to journals published by Joint Plant Committee and other similar receipts generated from compilation and publication of data, data transmission;

(b) interest due and payable from Tata Steel Ltd. and SAIL;

(c) utility Charges from Transit Houses of Joint Plant Committee located at Mumbai, New Delhi and Kolkata; and

(d) interest income from Fixed Deposits, Government Securities and Government Bonds.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Joint Plant Committee –

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) shall file return of income in accordance with the provision of section 263(9)(c)(xiii) of the said Act, 2025; and

(c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for tax year 2026-27.

[Notification No. 143 /2026/F. No.300196/15/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA